

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सौरभ पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- रमाकांत पाण्डेय
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10036
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश चौबे
पिता/पति का नाम :- नरेन्द्र कुमार चौबे
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10038
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विवेक शर्मा
पिता/पति का नाम :- स्व. अशोक शर्मा
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10055
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- पूजा नामदेव
पिता/पति का नाम :- संतोष कुमार आर्य
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10056
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिनेश परधानी
पिता/पति का नाम :- आनंद राम परधानी
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10060
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- हेमेन्द्र
पिता/पति का नाम :- संतोष
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10065
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- लोचन देवांगन
पिता/पति का नाम :- गौतम देवांगन
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10095**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सचिन चंद्रा
पिता/पति का नाम :- दीपक चंद्रा
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10120
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सावन
पिता/पति का नाम :- सुन्दर सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10163
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- यशवन्त भारद्वाज
पिता/पति का नाम :- ज्वाला प्रसाद
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10200
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सुन्दर लाल कैवर्त
पिता/पति का नाम :- रामअवतार कैवर्त
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10241**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राधिका
पिता/पति का नाम :- कृष्णावतार
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10252
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सूरज सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम :- बाल्मीकि सिंह ठाकुर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10286
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- संदीप अग्रवाल
पिता/पति का नाम :- प्रदीप कुमार अग्रवाल
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10287
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नीति प्रकाश
पिता/पति का नाम :- देवनारायण
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10336
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अश्विन टेम्बेकर
पिता/पति का नाम :- संजय टेम्बेकर
वर्ग :- **GEN**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10371**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सूर्यकांत
पिता/पति का नाम :- अश्वनी कुमार
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10377
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राम सिंह सिदार
पिता/पति का नाम :- दरबार सिंह सिदार
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10421
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश कुमार सोनी
पिता/पति का नाम :- कामता प्रसाद सोनी
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10441**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश गुप्ता
पिता/पति का नाम :- बलदाऊ गुप्ता
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10491
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सर्वेश कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम :- शत्रुघन लाल
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10531
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- शुभ्रा शर्मा
पिता/पति का नाम :- अंबिका प्रसाद शर्मा
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10535
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- लोकेश कुमार
पिता/पति का नाम :- शोभाराम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10592
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नरेश कुमार चौहान
पिता/पति का नाम :- रामपुरिहा चौहान
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10642
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- भुवनेश्वर प्रसाद डनसेना
पिता/पति का नाम :- सियाराम डनसेना
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10663**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- एकता पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- जोगेन्द्र पाण्डेय
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10685
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रंजीत कुमार
पिता/पति का नाम :- रामचन्द्र
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10692
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- लोकेन्द्र सिंह मार्को
पिता/पति का नाम :- त्रिलोकी सिंह मार्को
वर्ग :- **ST**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10695**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रश्मि गोंड
पिता/पति का नाम :- अवधराम गोंड
वर्ग :- **ST**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10749**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- परमवीर कुर्रे
पिता/पति का नाम :- बलदराम कुर्रे
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10754
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रोशनी
पिता/पति का नाम :- हरिदयाल वस्त्रकार
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10856
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- महेन्द्र कुमार महंत
पिता/पति का नाम :- अंजोर दास महंत
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 10897
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रामेश्वरी सिदार
पिता/पति का नाम :- विक्रम सिंह सिदार
वर्ग :- **ST**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **10966**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- निखिल पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- एम. एल. पाण्डेय
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11011
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार
पिता/पति का नाम :- केजूराम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11055
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अभिषेक कुमार डे
पिता/पति का नाम :- अंजन कुमार डे
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11060
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- महेश ग्वाल
पिता/पति का नाम :- सुनील ग्वाल
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11096
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रत्नेश सूर्यवंशी
पिता/पति का नाम :- सुन्दर लाल सूर्यवंशी
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11122
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश अवस्थी
पिता/पति का नाम :- भास्कर प्रसाद अवस्थी
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11184
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चिरंजीव सिहानी
पिता/पति का नाम :- हरिचरण सिहानी
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **11194**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- निखिल कुमार साहू
पिता/पति का नाम :- कृष्ण कुमार साहू
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **11205**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- स्वाति तिवारी
पिता/पति का नाम :- चतुर प्रसाद तिवारी
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11234
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अदिति नायडू
पिता/पति का नाम :- सुनील कुमार नायडू
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11316
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- उदय प्रताप सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम :- कितीभूषण सिंह राजपूत
वर्ग :- **GEN**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **11352**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिग्विजय सिंह
पिता/पति का नाम :- खिति भूषण सिंह
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11353
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- शिव नारायण
पिता/पति का नाम :- झाडू सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11383
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सुरेन्द्र दास मानिकपुरी
पिता/पति का नाम :- कौशल दास मानिकपुरी
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **11509**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रतीक स्वरूप तांडी
पिता/पति का नाम :- पंकज स्वरूप तांडी
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11514
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चिरंजीव सोनवानी
पिता/पति का नाम :- गोपाल राम सोनवानी
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11515
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रश्मि चंदेल
पिता/पति का नाम :- ओमप्रकाश ठाकुर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11537
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सौरभ पाठक
पिता/पति का नाम :- देवी प्रसाद पाठक
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11584
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सुदर्शन दास
पिता/पति का नाम :- हरिहर दास
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11586
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- देवेन्द्र कुमार नेताम
पिता/पति का नाम :- प्रभुराम नेताम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11767
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अमित नामदेव
पिता/पति का नाम :- मिथलेश नामदेव
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11777
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- पीयूष शुक्ला
पिता/पति का नाम :- नरेश चन्द्र शुक्ला
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11818
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दीपिका ठाकुर
पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र सिंह ठाकुर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 11866
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- निमेश
पिता/पति का नाम :- सुखदेव
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12019
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- डोगेन्द्र सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम :- मान सिंह ठाकुर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12045
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दुर्गेश कुमार गवर्ना
पिता/पति का नाम :- ज्ञानिक लाल गवर्ना
वर्ग :- **ST**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12109**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सुनील कुमार बंजारे
पिता/पति का नाम :- सुन्दर लाल
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12157
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दौलत राम देवांगन
पिता/पति का नाम :- रघुनंदन देवांगन
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12162**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिव्यानी गुप्ता
पिता/पति का नाम :- रविशंकर गुप्ता
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12179
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- शेख सिराजुद्दीन
पिता/पति का नाम :- शेख समीरुद्दीन
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12227
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रशांत कुमार तिवारी
पिता/पति का नाम :- अश्वनी कुमार तिवारी
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12242
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रभान सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम :- रामजी राजपूत
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12288
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- ओमप्रकाश महार
पिता/पति का नाम :- घासीराम महार
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12290
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- खिलेन्द्र सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम :- उदल सिंह ठाकुर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12302
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रिकेश गुप्ता
पिता/पति का नाम :- स्व. दिलीप कुमार गुप्ता
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12370
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विमल सोनकर
पिता/पति का नाम :- रामा सोनकर
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12404**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- योगेन्द्र कुमार मराठे
पिता/पति का नाम :- राजकुमार मराठे
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12428
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- ऋचा साहू
पिता/पति का नाम :- नंदकुमार साहू
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12430**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- ऋषि कुमार
पिता/पति का नाम :- चौकीराम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12445
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आशुतोष मिश्रा
पिता/पति का नाम :- अश्वनी मिश्रा
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12452
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विक्रम सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम :- जितेन्द्र सिंह राजपूत
वर्ग :- **GEN**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12466**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- कामेश तम्बोली
पिता/पति का नाम :- अंतराम तम्बोली
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12652**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रानी श्याम
पिता/पति का नाम :- बासुदिप सिंह श्याम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 12672
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

परीक्षार्थी, आवेदन
पत्र में संलग्नानुसार
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफस चस्पा
करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अर्जुन पाल
पिता/पति का नाम :- बुधराम पाल
वर्ग :- **OBC**
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **12718**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- कुटुम्ब न्यायालय, परिसर वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
परीक्षा का दिनांक :- 12.08.2023 (दिन शनिवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 09:00 से सायं 0500 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही / -
अध्यक्ष चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सभी मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 परीक्षार्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाईड लाईन का पालन करे व मास्क का प्रयोग करें एवं सेनेटाईजर साथ लेकर आवे।
- 6 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 7 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 8 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता के समक्ष ही करेंगे।
- 9 कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 10 कौशल परीक्षा के लिए केवल नीले बाल पाइण्ट पेन का ही उपयोग करेंगे।